रमेश पिता नाथू जाति बलाई आयु 65 वर्ष
निवासी भिडोताखुर्द तह. व जिला धार

निगरानी 1656-2015

........निगरानीकर्ता / प्रार्थी

श्री अनुराग व्यास
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 03-6-2015
को प्रस्तुत
1258/03-6-2015

विरूद्ध

1. दिनेश पिता रमेश जाति बलाई नि. भिडोताखुर्द तह0 धार
2. उमराव पिता सुखराम जाति बलाई निवासी खेरोद तहसील व जिला धार
3. गिरधारी पिता सुखराम जाति बलाई निवासी खेरोद तहसील व जिला धार
4. कृष्णाबाई पिता सुखराम जाति बलाई नि. हरिजन मोहल्ला, अमझेरा तहसील सरदारपुर जिला धार
5. रामाजी पिता भगवान जाति बलाई नि. भिडोताखुर्द तह0 धार
6. सुहागीबाई बेवा भगवान जाति बलाई नि. भिडोताखुर्द तह0 धार
7. राजेश पिता डुंगरजी बलाई नि. भिडोताखुर्द तह0 धार
8. सीता पिता डुंगरजी जाति बलाई नि. सांगवी तहसील देपालपुर जिला इंदौर
9. गीताबाई पिता डुंगरजी जाति बलाई नि. पुंजापुरा तहसील बागली जिला देवास
10. कलाबाई पिता डुंगरजी जाति बलाई नि. रिंगनोद तहसील सरदारपुर जिला धार
11. मेवाबाई पिता डुंगरजी जाति बलाई नि. गुणावद तह0 धार
12. भवरबाई पिता डुंगरजी जाति बलाई नि. करवासा तह0 देपालपुर जिला इंदौर
13. आनंदीबाई पिता डुंगरजी जाति बलाई नि. पीरपिपल्या तहसील देपालपुर जिला इंदौर
14. शांतीबाई पिता डुंगरजी जाति बलाई नि. रणमल बिल्लौद तहसील देपालपुर जिला इंदौर
15. शारदाबाई पिता डुंगरजी जाति बलाई नि. फुलेडी तहसील बदनावर जिला धार
16. भूलीबाई पिता डुंगरजी जाति बलाई नि. जामली तहसील महू जिला इंदौर
17. राजेश पिता देवजी जाति बलाई नि. भिडोताखुर्द तह0 धार
18. संतोष पिता देवजी बलाई नि. भिडोताखुर्द तह0 धार
19. सुगनाबाई पिता देवजी बलाई नि. पेमलपुर तहसील देपालपुर जिला इंदौर
20. संगीता पिता देवजी बलाई नि. आतेडी

(15)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R PDR 1656–/15 जिला धार

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 18–6–2015 | आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्टट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 3 एवं 4 का आवेदन पत्र स्वीकृत किया जाकर मृतक सुखराम के वारिसों के नाम अपील में शामिल करने का आदेश दिया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।<br><br>( मनोज गोयल )<br>अध्यक्ष | |